सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 06, मंगलवार, *शाके* 1945-जून 27, 2023 *Asadha 06, Tuesday , Saka 1945- June 27, 2023*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

संसोधित अधिसूचना

जयपुर, मई 02, 2023

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1366 :-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रंमांक 931-957 दिनांक 19/04/2023 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं निर्धारिरत मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बाप (जिला जोधपुर) को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका बाप घोषित की गई थी । नवगठित नगर पालिका बाप की सीमा विवरण में निम्नप्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है । अतः तदानुसार सीमा विवरण पढा व लिखा समझा जावेंः-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	जोधपुर	बाप	ग्राम पंचायत बाप के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रांम बाप के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या - 10,393) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाप के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या - 10,393) जनगणना 2011 के अनुसार के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत बाप के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।